

कार्यालय:-जिला कार्यक्रम अधिकारी, इटावा।

पत्रांक- C-990

/जि०का०अधि०/बा०वि०परि०/विज्ञप्ति/2025-26

दिनांक 18 नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति

पूर्व चयन(वर्ष 2024-25) के शेष रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व चयन(वर्ष 2024-25) के शेष रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदों पर सीधी भर्ती हेतु शासनादेश संख्या- /1092245/2025/3313/58-1-2025(1917687). दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद के ग्रामीण/शहरी परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है-

क्र०स०	परियोजना का नाम	ग्रामीण/शहरी	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों का विवरण
01	चकरनगर	ग्रामीण	01
02	बसरेहर	ग्रामीण	01
03	महेवा	ग्रामीण	01
04	भरथना	ग्रामीण	01
05	बढपुरा	ग्रामीण	02
06	शहर	शहरी	01
07	जसवन्तनगर	ग्रामीण	01
कुल योग:-			08

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/आंगनवाड़ी केन्द्रवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरप्पा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पद पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
2. रिक्त पदों (आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष तथा अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
3. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा की रथाई निवासी होना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित न्याय पंचायत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। नगरीय क्षेत्र में रिक्त पदों पर आवेदन करते समय ऑनलाइन जारी निवास प्रमाण पत्र में सम्बन्धित वार्ड क्रमांक/संख्या एवं सम्बन्धित वार्ड का नाम अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए।
4. निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत अद्यतन निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो।
5. कार्यकर्त्री पद के लिए आवेदिका की न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए। आयु की गणना हेतु कट ऑफ तिथि 01 जुलाई, 2025 होगी।
6. कार्यकर्त्री पद पर भर्ती हेतु बी०पी०एल० श्रेणी के आवेदिकाओं को वरीयता प्रदान की जायेगी। बी०पी०एल० श्रेणी का निर्धारण समाज कल्याण अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक 14 सितम्बर 2015 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जायेगा।
7. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3959/1-9-11-राज०-9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो।
8. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/ सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
9. तलाकशुदा एवं परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा०न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
10. विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पद पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयवाधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
11. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फार्मेट ऑनलाइन व सही-सही सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों के स्व हस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो पोर्टल <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफ लाइन या डॉक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/ऑफकड/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूट रचित पाये जायेंगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

12. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 09.12.2025 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।
13. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
14. रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है। रिक्त पदों पर भर्ती करने अथवा न करने/भर्ती निरस्त करने का अधिकार चयन समिति में निहित होगा।

वरीयता:-

1. उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
2. विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की अन्य महिला।
3. उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली परिवार की महिलाएँ।
4. उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जावेगा।

आरक्षण:-

1. जो पद जिस श्रेणी हेतु आरक्षित है, उसी श्रेणी के आवेदन पत्र मान्य होंगे। अनारक्षित श्रेणी के पदों पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे।
2. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं की नियुक्ति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु समय समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

/

(लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी)
जिला कार्यक्रम अधिकारी/
नियुक्ति प्राधिकारी
इटावा।

पृष्ठांकन सं० :- **C-999** तद् दिनोंक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, इटावा को अवलोकनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
4. समस्त उप जिलाधिकारी, इटावा।
5. समस्त सदस्य, आंगनवाड़ी चयन समिति, इटावा।
6. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति की अपने कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
7. जिला सूचना अधिकारी, इटावा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति का जनपद में व्यापक प्रसार वाले एक स्थानीय एवं एक प्रदेश स्तर के दैनिक समाचार पत्रों में न्यूनतम स्थान एवं दर में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) इटावा को इस अनुरोध के साथ कि इस विज्ञप्ति को NIC की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
9. कार्यालय प्रति।


जिला कार्यक्रम अधिकारी/
नियुक्ति प्राधिकारी
इटावा।